(वाद सं0–7129/2017)

22.07.2021

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, घनश्याम पाण्डेय, के औद्योगिक क्षेत्र थाना कांड संख्या–04/16, दिनांक–04.01.2016 तथा 03/17, दिनांक–03.01.2017 में उसे तथा उसके भाई, शिवजी पाण्डेय को गलत रूप से फसाये जाने से संबंधित है।

पुलिस अधीक्षक, बक्सर के प्रतिवेदनानुसार औद्योगिक क्षेत्र थाना कांड संख्या–04/16 में परिवादी, घनश्याम पाण्डेय, शिवजी पाण्डेय, शेखर पाण्डेय व छोटू मिश्रा के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है, जबकि प्राथमिकी अभियुक्त, लड्डू पाण्डेय तथा अप्राथमिकी अभियुक्त बिट्टू पाण्डेय को अनुत्प्रेषित दर्शाते हुए अंतिम प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जबकि कांड संख्या–03/17 में परिवादी घनश्याम पाण्डेय को अनुत्प्रेषित दर्शाते हुए शेष तीन अभियुक्तों कें विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है।

अब, जबकि प्रसंगाधीन मामले में उपरोक्त दोनों कांडों में पुलिस द्वारा आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है तो ऐसी स्थिति में राज्य आयोग के स्तर से उक्त के संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

वर्णित स्थिति में प्रसंगाधीन मामला को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर राज्य आयोग के स्तर से इसे संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक